अन्य पास वाला खसरा संख्या 14/27 लगभग 4 बिस्वा क्षेत्रफल अधिग्रहित नहीं किया गया था क्योंकि भूमि रिकार्ड रजिस्टर के अनुसार इस पर एक दरगाह मौजूद थी । इस भूमि पर गिराने सम्बन्धी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांग व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

2662. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय में विकलांग व्यक्तियों को दुकानें आवंटित करने का कोई विशेष कोटा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवंटन का मापदण्ड क्या है ;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे आवंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किये जाने और उन्हें दुकानें आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आठ।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित पड़े सम्पत्ति सम्बन्धी मामले

2663. **श्री मोहम्मद अफ़जल उर्फ मीर अफ़जल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के पास सम्पत्ति सम्बन्धी कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने-कितने मामले निपटाये गए ;

(ग) न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए ; और

(घ) सरकार झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को दूसरी जगह पर बसाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार स्लम तथा झुग्गी-झोंपड़ी विंग-II के पास सम्पत्तियों से सम्बन्धित 3832 मामले लम्बित पड़े थे ।

(ख) अनधिकृत निर्माण/आवंटन लीज अतिक्रमण परिसमापन

वर्ष			
1988-89	78	166	496
1989-90	114	34	332
1990-91	78	83	312

(ग) जनवरी 1992 की स्थिति के अनुसार स्लम सम्पत्तियों से सम्बन्धित 108 मामले दीवानी अदालतों में लम्बित बताए गए हैं ।

(घ) बृहत्त योजना की आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक जनहित में वर्तमान नीति, पता लगाए गए झुग्गी-झोंपड़ी परिवारों को उस पर विचार करती है यह भूमि स्वामित्व ऐजेंसियों को अतिक्रमित भू-खण्डों पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पड़ती है और ये ऐजेंसियां परियोजना-कार्यान्वय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को पुनः स्थापित करने के अनुरोध प्रस्तुत करते हैं ।